राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–14/2023
मो0 इरशाद रजा खान बनाम् हेमलता वर्मा।

यह वाद मो0 इरशाद रजा खान, पिता–स्व0 अफ्ताबुर रहमान खान, पता–फ्लैट नं0–201, पाटलीपुत्रा ग्लैक्सी अपार्टमेन्ट, गेटवेल हॉस्पीटल के सामने, राजा बाजार, पोस्ट वेटनरी कॉलेज, पटना–800014. द्वारा श्रीमती हेमलता वर्मा, पति–श्री अरविन्द कुमार वर्मा, पता–वार्ड संख्या–05, शिव कॉलनी, राजा बाजार, पोस्ट–वेटनरी कॉलेज, थाना–शास्त्री नगर, पटना के विरुद्व बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–445–सह–पठित धारा–447 के तहत पटना नगर निगम के वार्ड संख्या–05 के वार्ड पार्षद का प्रत्याशी बनने हेतु **गलत शपथ–पत्र** एवं **गलत जाति प्रमाण–पत्र** के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु किये गये प्रयासों के लिए दण्डात्मक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी मो0 इरशाद रजा खान का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रवि रंजन एवं श्री रंजीत चौबे(श्री रवि रंजन के आयोग में रिटेनर नामित होने के उपरांत) द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्री हेमलता वर्मा की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सक्सेना द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री आशुतोष राय, उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना एवं सुश्री पूजा कुमारी, वरीय उप समाहर्त्ता, पटना को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी श्रीमती हेमलता वर्मा **''कोईरी(कुशवाहा)''** जाति के सदस्य है। इसके बावजूद इनके द्वारा **''दाँगी''** जाति का जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया है, और आरक्षण के लाभ के निमित इसका प्रयोग पटना नगर निगम के वार्ड संख्या–05 के वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने हेतु किया गया है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया है कि न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना जमा बंदी रद्द वाद संख्या–65/2013–14 में इनके वंश वृक्ष के साथ इनकी जाति अंकित की गई है, जिसमें स्व0 फुलसिया देवी, पति–स्व0 एतवारी महतो के वंशजों एवं स्व0 खेलावन महतो के वंशजों के वृक्ष भूमि–विवाद का निस्तारण करते हुए, आदेश पारित किया गया है। आगे उनके द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रतिवादी के पूर्व के वर्ष में निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संख्या–7067 का अवलोकन कराया गया, जिसमें उनकी जाति **''कोईरी(कुशवाहा)''** जाति अंकित है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी अपनी इच्छानुसार अपनी जाति बदलती रहती है तथा खतियान में जाति **''कोईरी(कुशवाहा)''** अंकित होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन के मिली–भगत से **''दाँगी''** जाति का जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया है। अतः उनके द्वारा बैद्यनाथ प्रसाद वाद के आलोक में बाद में निर्गत किए गए जाति प्रमाण–पत्र को रद्द करने हेतु राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) को संदर्भित करने का अनुरोध किया गया।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी चुनाव हार चुकी है। अतः इस वाद को कोई महत्व नहीं है। अतः उनके द्वारा वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्कों का जवाब देते हुए, आयोग को बताया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्रवाई की शक्ति आयोग को प्रदान करता है। यह शक्ति चुनाव के पूर्व से लेकर चुनाव के पश्चात् तक विस्तारित है। चूँकि प्रतिवादी सक्रिय राजनेता है और उनके पास एक गलत जाति प्रमाण–पत्र उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में संभव है कि वे इस गलत जाति प्रमाण–पत्र का अनुचित लाभ आने वाले निर्वाचनों में प्राप्त कर सकें। अतः उनके जाति का विनिश्चय एवं गलत पाए जाने पर प्रमाण–पत्र को रद्द किया जाना तथा कानूनी कार्रवाई आवश्यक है

5. आयोग द्वारा यह पाया गया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा उपलब्ध कराए गए, प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि श्रीमती हेमलता वर्मा को निर्गत किया गया जाति प्रमाण–पत्र उनके भाई–बहन के जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थानीय जाँच के आधार पर निर्गत की गई है, जबकि वादी द्वारा दिए गए, जमाबंदी रद्द संख्या–65/2013–14 के आदेश में प्रतिवादी के पूर्वजों के सर्वे खतियान तौजी–303, थाना–11, खाता–715 एवं खेसरा–1339 में इनकी जाति **''कोईरी(कुशवाहा)''** का भी उल्लेख है। साथ ही साथ पूर्व से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संख्या–7067 में इनके द्वारा **''कोईरी(कुशवाहा)''** जाति अंकित है, जो **स्वयं** इनके द्वारा प्राप्त किया गया था।

स्पष्ट था कि इस जाँच के जाँच पदाधिकारी, अपर जिला दण्डाधिकारी, आपूर्त्ति के द्वारा वादी द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों एवं पूर्व से उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों तथा सरकार द्वारा निर्गत किए गए, परिपत्र/संकल्प का संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके कारण **प्रतिवादी एवं उनके भाई–बहनों के जाति प्रमाण–पत्र की वैधता, प्रतिवादी के जाति विनिश्चय पर निर्भर पाया गया। अतएव वादी द्वारा उपलब्ध कराए गए, अभिलेखीय साक्ष्य से स्पष्ट था कि प्रतिवादी के जाति का विनिश्चय आवश्यक था।**

उक्त वर्णित स्थिति में बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–1567, दिनांक–05.02.2014 तथा **माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा रजनी कुमारी वाद** एवं C.W.J.C. No.19084/2021, बैजनाथ सिंह बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य मामलें में दिनांक–21.06.2022 को पारित न्याय निर्णय तथा के आलोक में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्रों के जाँच हेतु गठित कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) को निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्रवाई हेतु मामलें को संदर्भित किया गया।

6 राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) द्वारा ज्ञापांक–11/आ0जा0–28/2023 सा0प्र0–16153, पटना–15, दिनांक–29.08.2025 के माध्यम से अंतिम प्रतिवेदन/निर्णय उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रभावकारी अंश कंडिका–11 में अंकित है, जो निम्नवत् हैः–

"11. अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अपराध अनुसंधान विभाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के तथ्यों एवं निष्कर्षों से असहमत होने का कोई युक्ति संगत अवसर प्रतीत नहीं होता है और तदनुसार सामान्य समिति के सभी सदस्यों के द्वारा जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न सभी तथ्यों/साक्ष्यों एवं प्रस्तुत बचाव–बयान के तर्कों एवं साक्ष्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए, सम्यक विचारापरांत मतैक्य के आधार पर **श्रीमती हेमलता वर्मा, पति–श्री अरविन्द कुमार वर्मा, पता–वार्ड संख्या–05, शिव कॉलनी, राजा बाजार, पोस्ट–वेटनरी कॉलेज, थाना–शास्त्री नगर, जिला–पटना द्वारा "दाँगी"(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) के जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर बिहार राज्य में आरक्षण का लाभ लिये जाने के दावें को सर्वसम्मति से खारिज किया जाता है।"**

7 प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति आयोग द्वारा दोनों पक्षों को प्रेषित की गई तथा उन्हें प्रतिवेदन पर अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:–

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनका दावा राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) द्वारा सत्य पाया गया है। साथ ही साथ आयोग की यह आशंका भी सही पायी गयी है कि यदि प्रतिवादी एवं उनके रक्त संबंधियों का जाति प्रमाण–पत्र रद्द नहीं किया जाता, तो यह इसका दूरूपयोग कर सकते है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी वर्तमान में बिहार राज्य नागरिक परिषद् में अत्यन्त पिछड़ी जाति हेतु निर्धारित पद के विरूद्ध मनोनीत हैं,जबकि नैतिकता के आधार पर **स्वयं** ही राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) का प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत त्याग–पत्र देना चाहिए था। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा मंत्रीमण्डल सचिवालय विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1353, दिनांक–24.07.2009 के आलोक में निर्गत–आदेश(अधिसूचना संख्या–790, दिनांक–23.06.2025) का अवलोकन कराया गया।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उक्त तथ्यों का इस वाद से कोई संबंध नहीं है। उनके द्वारा आयोग को यह भी बताया गया कि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के प्रतिवेदन को उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में चुनौती दी गई है। अतः अंतिम निर्णय तक आयोग को प्रतीक्षा करना चाहिए।

8. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिवेदन तथा राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) का निर्णय तथा संदर्भित न्याय–निर्णयों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद/विवाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्रीमती हेमलता वर्मा (तत्कालीन प्रत्याशी, वार्ड पार्षद, वार्ड सं0–05, नगर निगम–पटना) द्वारा पिछड़ा वर्ग अनुसूची–02 का सदस्य होने के बावजूद पिछड़ा वर्ग

अनुसूची–01 हेतु आरक्षित वार्ड पार्षद के पद पर बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–475 का उल्लंघन कर मिथ्या शपथ पत्र के आधार पर निर्वाचन में भाग लेने से संबंधित है।''

वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों से प्रमाणित है कि उनका दावा सही है साथ ही साथ विचाराधीन वाद में राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी(निदेशालय) का निर्णय प्राप्त है, जिसके अनुसार श्रीमती हेमलता वर्मा, पति–श्री अरविन्द कुमार वर्मा, पता–वार्ड संख्या–05, शिव कॉलनी, राजा बाजार, पोस्ट–वेटनरी कॉलेज, थाना–शास्त्री नगर, जिला–पटना द्वारा ''दाँगी''(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) के जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर बिहार राज्य में आरक्षण का लाभ लिये जाने के दावें को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया है।''

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती हेमलता वर्मा की जाति ''दांगी'' नहीं है, जो बिहार हेतु अधिसूचित पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–01) के अन्तर्गत आती है, इसके बावजूद इन्होंने वार्ड पार्षद हेतु आरक्षित पद पर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु मिथ्या शपथ पत्र एवं ''दांगी'' जाति का गलत प्रमाण पत्र का प्रयोग किया गया। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–475 के परन्तुक के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के बावजूद उक्त पद (वार्ड पार्षद) पर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेना नियमाकूल नहीं था। भविष्य में प्रतिवादी इस प्रकार गलत जाति प्रमाण–पत्र एवं मिथ्या शपथ–पत्र के आधार पर पिछड़े वर्गों की सूची–अनुसूची–01 हेतु आरक्षित पद पर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग न ले सकें, इस कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–475–सह–पठित धारा–18(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्रीमती हेमलता वर्मा को पिछड़े वर्गों की सूची–अनुसूची–01 हेतु आरक्षित पद पर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अयोग्य/निरर्हित घोषित किया जाता है।

(ख) प्रतिवादी श्रीमती हेमलता वर्मा द्वारा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु नामांकन–पत्र में अपने आरक्षण श्रेणी के संबंध में गलत सूचना अंकित की गई। निर्वाचन पदाधिकारियों को गुमराह करने के उद्देष्य से नामांकन–पत्र के साथ मिथ्या शपथ–पत्र संलग्न किया गया। बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–447 के तहत मिथ्या शपथ–पत्र प्रस्तुत करना दंडनीय है। अतः जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला दंडाधिकारी, पटना को आदेश दिया जाता है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–447 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

(ग) राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि तत्कालीन अंचलाधिकारी, पटना सदर एवं राजस्व कर्मचारी श्रीमती हेमलता वर्मा को सरकार के नियमों की अनदेखी कर खतियान में ''कुशवाहा(कोईरी)'' जाति अंकित रहने के बावजूद ''दाँगी'' जाति का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु दोषी हैं। साथ ही साथ श्रीमती हेमलता वर्मा द्वारा गलत जाति प्रमाण–पत्र का अनुचित लाभ प्राप्त कर आरक्षित पद पर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया गया। अतः अध्यक्ष राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि (निदेशालय)–सह–प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार को

संकल्प ज्ञापांक–1567, दिनांक–05.02.2014 के कंडिका–4 (ग) के आलोक में गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर लाभ प्राप्त करने हेतु प्रतिवादी के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करना तथा दोषी पदाधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करना वांछनीय है, ताकि दूसरे व्यक्ति को ऐसा करने हेतु दुषप्रेरित होने से रोका जा सके।

(घ) जिला पदाधिकारी, पटना से यह अपेक्षा की जाती है कि मामले के सत्यापन एवं जाँच के क्रम में श्रीमती हेमलता वर्मा के जितने रक्त संबंधियों को गलत जाति प्रमाण–पत्र निर्गत कर दिया गया है, उसको रद्द करने हेतु सक्षम प्राधिकार राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) को आदेश की प्रति के साथ प्रेषित की जाएगी, ताकि इसका दुरूपयोग कर वे सभी भविष्य में होने वाले सरकारी नियुक्तियों/नियोजनों/निर्वाचन आदि में अनुचित लाभ प्राप्त न कर सकें। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी, पटना के रूप में प्राप्त शक्तियों के अधीन भी कार्रवाई अपेक्षित है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
17.10.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
017.10.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–14/2023 पटना, दिनांक–.......................

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग–सह– अध्यक्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्रों की जाँच हेतु गठित निदेशालय, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक--14/2023 4070 पटना, दिनांक–17.10.25

प्रतिलिपि--जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **पटना**/सुश्री पूजा कुमारी, वरीय उप समाहर्त्ता, **पटना** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सुश्री पूजा कुमारी, वरीय उप समाहर्त्ता, **पटना** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

17/X/25
विशेष कार्य पदाधिकारी